उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या:217/ix/2023–01(02)/2023
देहरादून:21फरवरी, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या–12 सन् 2003) की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, तत्काल प्रभाव से अधिसूचना संख्या–03/ix-1/106/2012/2019, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के क्रमांक 3 (क) के सम्मुख स्तम्भ–4 एवं स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट दरों को अवक्रमित करते हुये नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट वर्ग के मोटरयानों के सम्बन्ध में उनके सम्मुख स्तम्भ–4 एवं स्तम्भ–5 में विनिर्दिष्ट कर की दरें नियत करते हैं:–

सारणी

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दर :

क्र. सं.	यान का विवरण	मासिक कर की दर (₹ में)	त्रैमासिक कर की दर (₹ में)	वार्षिक कर की दर (₹ में)
1	2	3	4	5
3.	(क) कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयुक्त ट्रैक्टर के लदान रहित भार के प्रत्येक मीट्रिक टन या उसके भाग के लिये	–	270	1000

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

संख्या: 217(1)/ix–1/2023–01(02)/2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल।

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या:218/ix/2023–01(02)/2023
देहरादून:21 फरवरी, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59 सन 1988) की धारा 65 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 81 के "परन्तुक" द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन भारत सरकार द्वारा नियम 11क के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के फिटनेस टेस्ट फीस की दरों में किये गये पुनरीक्षण को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मात्र एक बार के लिये 01 वर्ष हेतु स्थगित रखा जाता है। इस अवधि में फिटनेस टेस्ट फीस की दरें भारत सरकार द्वारा किए गए उक्त पुनरीक्षण के पूर्व यथाप्रचलित रहेंगी, किन्तु यह दरें आगामी 01 वर्ष के उपरान्त भारत सरकार द्वारा किए गए पुनरीक्षण अनुसार ही देय होंगी।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्या:218(1)/ix–1/2023–01(02)/2023, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांयू मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लीथो प्रेस, इण्डस्ट्रियल एरिया, रामनगर, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियाँ, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया प्रभारी सचिवालय/मीडिया सेन्टर, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

(नरेन्द्र कुमार जोशी)
अपर सचिव।